न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 26/2015

1. नाथू पुत्र तेजा
2. श्रवण पुत्र तेजा
   जाति मीणा निवासी खानवास तहसील लवाण जिला दौसा

......अपीलांट्स

बनाम

1. नाथीदेवी पत्नि कालूराम
2. कमला देवी पत्नि कन्हैयालाल
   जाति मीणा निवासी मांडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
3. लक्ष्मा पनि रामनाथ
4. फैलीराम पुत्र रामनाथ
5. रामवतार पुत्र रामनाथ
6. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ
   जाति मीणा निवासी ग्राम खण्डेवल तहसील लवाण जिला दौसा
7. तहसीलदार भू–अभिलेख लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भू अभिलेख लवाण दिनांक 7.10.15 जो नामान्तरण संख्या 309 ग्राम माडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण पर पारित किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय — दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार लवाण द्वारा ग्राम मांडेडा सुनारपुरा के पारित नामान्तरण सं0 309 दिनांक 7.10.2015 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार लवाण से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम माडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 53, 58, 59, 63, 66, 646, 651, 652 व अन्य नंबरान की भूमि बाबत अपीलान्ट व रामनाथ एवं अन्य के मध्य एक अपील नामान्तरण अनुवानी नाथू बनाम छीतर की उपजिला कलेक्टर दौसा की अदालत में चल रही है व उक्त अनुवान का ही एक दावा अनुवानी नाथू बनाम छीतर का सहायक कलेक्टर दौसा की अदालत में चल रहा है। अपील नामान्तरण में उक्त उपर वर्णित भूमि एवं अन्य भूमि [illegible] हेतु रामनाथ पुत्र पाँचू जाति मीणा एवं अन्य लोगो को दिनांक 28.7.2004 से [illegible] रखा है उक्त स्थगन आज भी चल रहा है। उक्त स्थगन के चलते [illegible] ने उक्त उपर वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 53, 58, 59, 63, [illegible] हिस्से व खसरा नंबर [illegible] 651, 652 के अपने 1/8 हिस्से में से 50/453 हिस्से का [illegible] अवैध विक्रय पत्र [illegible] 4.8.2010 को रेस्पो0 नंबर 1 व 2 के नाम तस्दीक करा दिया जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 7.8.2010 को उक्त नामान्तरण को भरकर और दिनांक 16.8.2010 को जांच करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

और रामनाथ रहन बय न करने हेतु पाबन्द होने के कारण पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरण को तस्दीक हेतु कही भी पेश नहीं किया और अपने पास ही पटके रखा। उक्त अपील व वाद अभी भी चल रहे है और उक्त नामान्तरण की अपील में स्थगन के चलते दौरान स्थगन की रेस्पो० को जानकारी होने के बावजूद भी तथा नामान्तरण की अपील के स्थगन के आदेश की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा को सुनने का अधिकार न होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से उक्त उप जिला कलेक्टर के स्थगन के आदेश के खिलाफ एक अवैध क्षेत्राधिकारविहीन अपील पेश करके और उप जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.7.2004 की क्रियान्विति पर एकतरफा में स्थगन लेकर और उक्त स्थगन की आड में पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरण को तहसीलदार को 45 दिन तक अधिकार न होते हुए भी बिना ग्राम पंचायत में पेश किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा रैफर किया जाना लिखकर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार लवाण ने भ्रष्ट आचरण करके अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना, बिना कोई जांच किये बिना उक्त नामान्तरण संख्या 309 ग्राम मांडेडा सुनारपुरा को दिनांक 7.10.2015 को तस्दीक कर दिया। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख लवाण के नामान्तकरण संख्या 309 ग्राम मांडेडा सुनारपुरा पर पारित आदेश दिनांक 7.10.2015 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जांच किये बिना व बिना कब्जे की जांच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है, अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रामनाथ पुत्र पाँचू जाति मीणा रहन बय न करने से पाबन्द होने के बाद स्टे के दौरान उक्त विक्रय पत्र तस्दीक कराया था जिसका नामान्तरण 5 साल से पेन्डिंग पडा हुआ था जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी उक्त 5 साल से पेन्डिंग पडे हुए नामान्तरण को अधिनस्थ न्यायालय ने जांच किये बिना तस्दीक करने में कानूनी गलती की है । अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जब किसी भूमि बाबात दावे चल रहे हैं। और स्थगन हो रहा हो तो नामान्तरण जैसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ऐसा माननीय राजस्व मंडल ने अनेको न्यायिक निर्णयों में तय किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे व अपील चलने का तथ्य मौजूद था और जमाबन्दी में स्टे का नोट लग रहा था इसके बावजूद भी नामान्तरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। नामान्तरण को कानून अनुसार पहले ग्राम पंचायत में पेश करना चाहिए। पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरण को ग्राम पंचायत में पेश नहीं किया जो इस बात से प्रमाणित है कि नामान्तरण की जो नकल मिली है उस पर ग्राम पंचायत में पेश करने का कोई नोट अंकित नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार को रैफर करने का नोट अंकित है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने भ्रष्ट आचरण करके उक्त नामान्तरण को ग्राम पंचायत द्वारा रैफर किया जाना बताकर तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ या मृत व्यक्ति के पक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि रामनाथ पुत्र पाँचू की मृत्यु दिनांक 16.5.2015 हो चुकी थी। कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ या मृत व्यक्ति के पक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति रामनाथ के स्थान [illegible] रेस्पो० नंबर 1 व 2 एवं मृत रामनाथ पुत्र पाँचू के हक में नामान्तरण तस्दीक [illegible] की है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। नामान्तकरण की अपील में उप जिला कलेक्टर द्वारा पारित स्थगन आदेश की अपील को सुनने का अधि[illegible] भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा को नहीं था किन्तु फिर भी उप जिला कलेक्टर के स्थगन आदेश के खिलाफ गलत कोर्ट में अपील पेश करके मयाद बाहर अपील पेश करके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

मयाद के बिन्दु को दिया थी जिस तय किये बिना उक्त स्थगन की आड में नामान्तरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है । 8. यह कि अपीलान्ट को रामनाथ पुत्र पाँचू की मृत्यु होने बाबत कतई जानकारी नहीं थी क्योंकि रामनाथ एवं रामनाथ के वारिसान वर्तमान में खण्डेवल में रह रहे है और ना ही यह जानकारी थी कि किसी की मृत्यु होने पर कोई कानूनी कार्यवाही करनी पडती है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित लोग है। कानून से अनभिज्ञ लोग है। उक्त नामान्तरण संख्या 309 ग्राम मांडेडा सुनारपुरा के तस्दीक होने की दिनांक 7.10.15 को ही जानकारी होने पर उक्त नामान्तकरण की नकल लेकर दिनांक 11.10.15 को जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि रामनाथ पुत्र पाँचू की मृत्यु हो गई है उसकी मृत्यु दिनांक का तलाश किया तो मालूम पड़ा कि मृत्यु दिनांक 16.5.2015 को हुई है और उसके वारिस रेस्पो0 नंबर 3 ला. 6 है जिन्हें रेस्पो० पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख लवाण दिनांक 7.10.2015 जो नामान्तरण संख्या 309 ग्राम मांडेडा सुनारपुरा पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 ने बहस में कथन किया कि दावे से संबंधित कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही स्थगन जारी होने का कोई साक्ष्य भी अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 ने यह भी कथन किया कि नामान्तरण से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। नामान्तरण फिस्कल प्रोसीडिंग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलांट के द्वारा विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण रैफर किये जाने से तहसीलदार लवाण द्वारा नामान्तरण विधिवत रूप से तस्दीक किया गया है। उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा जारी स्थगन आदेश की कियान्विति को न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैप दौसा के द्वारा अपास्त करने पर तहसीलदार लवाण के द्वारा नामान्तरण खोला गया है। नामान्तरण तस्दीक करते समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रचलित नहीं था। यदि किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो उसमें हक हकूक तय होने है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है जिसे खारिज फरमाई जावे।

5. रेस्पों सं0 3 से 6 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण विधिवत रूप से तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि उक्त प्रकरण में रामनाथ पुत्र पांचू स्थगन आदेश से पाबंद थे एवं एसके विपरीत विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है, माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा को स्थगन आदेश जो कि उप जिला कलक्टर दौसा द्वार[illegible]नने का अधिकार नहीं था एवं उसके विपरीत पारित किया गया है एवं का[illegible]र नामान्तरण पहलें ग्राम पंचायत में पेश किया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण में [illegible] गया है।

9. दोनों ही पक्षों द्वारा अपने पक्ष में किसी [illegible] कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पत्रावली पर केवल नामान्तरण [illegible] 309 जिसे दिनांक 7.10.2015 को तहसीलदार लवाण द्वारा तस्दीक किया गया जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

10. उक्त नामान्तरध की मुख्य प्रविष्टियां इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी टिप्पणी "विक्रय पत्र दिनांक 4.8.2010 की पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 43, पृष्ठ सं0 637 कमांक:637 पर दर्ज किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 46 के पृष्ठ सं0 15–55 पर चस्पा किया गया।" "सेवामें निवेदन है कि मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तरण भरकर वास्ते जांच एवं फैसल हेतु पेश है।" दिनांक 11.8.2010
तहसीलदार की टिप्पणीय इस प्रकार है:–" आज ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण रैफर किये जाने पर पेश हुआ। पूर्व में नामान्तरण पर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय दौसा का स्थगन आदेश था। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के कमांक: 2289 दिनांक 18.9.2015 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2004 की कियान्विति स्थगित कर दी गई है। प्रतिपरत पर मौका जांच के अनुसार कॉलम 7 के स्थान पर कॉलम नं0 9 का नवीन अंकन स्वीकार है।"

11. उपरोक्त नामान्तरण में दर्ज टिप्पणी से हमारे समक्ष यह तथ्य सामने है कि तहसीलदार लवाण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर एवं उपखंड अधिकारी दौसा के स्थगन आदेश की कियान्विति पर माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के रोक के उपरांत नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो कि नियमानुसार है। जहॉ तक प्रार्थी का कथन कि माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा क्षेत्र से बाहर जाकर यह रोक लगाई गई है तो इस संबंध में ना तो अपीलांट ने पत्रावली पर कोई माननीय न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया है एव ना ही यह न्यायालय उक्त आदेश पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम है।
12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested